

# न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख  
हुक्म

बनाम.....शिवचरण वर्मा  
मु.नं. 137/21

दि. 14.05.22

आज पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील व तहसीलदार बैजूपाडा स्वयं उपस्थित आये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नं. 656, 657, 660 कुल किता 3 रकबा 1.09 हैक्टो वाके ग्राम स्थित नांगल तहसील बैजूपाडा जो कि विवादित आराजी है। जिसमें प्रार्थी सा० देह खातेदार है। प्रार्थी के नाम से चली आ रही उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम भरोसी पुत्र सुमरया राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से दर्ज कर दिया। जो कि गलत है। प्रार्थी के दस्तावेजों पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम शिवचरण शर्मा पुत्र सम्पत है। जो सही है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि के शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त भूमि में सा०देह खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से शिवदयाल पुत्र सम्पत दर्ज कर दिया। जो कि गलत है। जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है। धारा-136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है।


हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तथा तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी का नाम शिवदयाल पुत्र सम्पत एवं शिवचरण शर्मा पुत्र सम्पत नाम के एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में शिवदयाल पुत्र सम्पत के स्थान पर शिवचरण शर्मा पुत्र सम्पत नाम किये जाने की अभिशंषा की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम वाके ग्राम स्थित बडावास बालाहेडा तहसील बैजूपाडा आराजी खसरा नं. 656, 657, 660 कुल किता 3 रकबा 1.09 हैक्टो में शिवदयाल पुत्र सम्पत के स्थान पर शिवचरण शर्मा पुत्र सम्पत कर दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार बैजूपाडा को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
महवा (दोस)  
(सहायक अधिकारी)

  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
महवा (दोस)